(हजार में)

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या
6.	गुजरात	916.5
7.	हरियाणा	706.9
8.	हिमाचल प्रदेश	597.8
9.	जम्मू और कश्मीर	147.5
10.	कर्नाटक	1752.3
11.	केरल	3307.1
12.	मध्य प्रदेश	2181.3
13.	महाराष्ट्र	3691.5
14.	मणिपुर	275.5
15.	मेघालय	27.7
16.	मिजोरम	45.9
17.	नागालैण्ड	21.0
18.	उड़ीसा	940.9
19.	पंजाब	511.9
20.	राजस्थान	811.8
21.	सिक्किम*	
22.	तमिलनाडु	3438.0
23.	त्रिपुरा	201.2
24.	उत्तर प्रदेश	2496.0
25.	पश्चिम बंगाल	5435.8
संघ शासित प्रदेश		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.2
27.	चण्डीगढ़	152.1
28.	दादर और नगर हवेली	4.7
29.	दिल्ली	1046.2
30.	दमन और दीव	4.6
31.	लक्षद्वीप	9.6
32.	पाण्डिचेरी	151.6
	योग:	36825.1

नोट: 1. * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. पूर्णांकों के कारण आकड़ों को योग में न जोड़ा जाए।

गैर-सरकारी क्षेत्र में खनन परियोजनाएं

2224. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनन उद्योग में कितनी परियोजनाओं का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया है;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं विदेशी खनन कंपनियों को दी गयी हैं;

(ग) खनन संबंधी अधिकार देने के संबंध में क्या मानदंड अपनाया गया है; और

(घ) ऐसे ढंग से गैर-सरकारी पार्टियों को खनन अधिकार लीज पर दिए जाने का क्या लाभ है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्दर प्रसाद वैश्य): (क) से (घ) खनन के अधिकार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार दिये जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से, देश में खनन गतिविधि सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा की जाती हैं। वर्ष 1994-95 के अंत तक उत्पादन कर रही तथा गौण खनिजों के अलावा गैर-परमाणु तथा गैर-ईधन खनिजों को दी गई कुल 3083 (अनन्तिम) खानों में से मात्र 316 खानें सार्वजनिक क्षेत्र में थीं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा (3) की उपधारा (1) में परिभाषित किसी कंपनी को ही खनन अधिकार दिये जा सकते हैं बशर्ते प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी खनिज के बारे में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे नहीं दिये जाएंगे। अतः किसी विदेशी कंपनी को ऐसे अधिकार दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। रोजगार तथा किसी आर्थिक गतिविधि के राजस्व सृजन जैसे सामान्य लाभों के अलावा खनन गतिविधि में संबंधित राज्य सरकारों को रायल्टी एवं संबंधित शुल्कों के भुगतान भी शामिल रहते हैं।

कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना किया जाना

2225. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1995-96 में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करने हेतु कोई प्रयास किए हैं;